

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप - 6 ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्रीमती बिन्दु यादव व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी, महात्मा गांधी राउमावि चैनपुरा, जोधपुर जन्म तिथि 24.10.1972 ने दिनांक 06.09.2019 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 06.12.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही है।

श्रीमती बिन्दु यादव व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी, 24.10.1972 पन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएं पूर्ण करने संबंधी शर्त पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के प्रावधानान्तर्गत इनकी दिनांक 06.12.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बिन्दु यादव के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।



(नथमल डिडेल)


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/स्वै.से.नि./2015-16/2018/ दिनांक: 26/11/2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

474

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ समग्र शिक्षा जोधपुर
6. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राउमावि चैनपुरा, जोधपुर
7. श्रीमती बिन्दु यादव व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी, महात्मा गांधी राउमावि चैनपुरा, जोधपुर (वरिष्ठता क्रमांक एवं वर्ष - 3427/2016-17)
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/प्रभारी ओएसी प्रभाग, अनुभागों को सूचनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर